न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- प्रदीपसिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या डिकी 139 सन 2012

पंजीयन दिनांक 8.5.2012

1.रतनलाल पिता शंकरलाल चमार ।

2.कैलाश पिता शंकरलाल चमार ।

3.गणपत पिता शंकरलाल चमार ।

4.मु.सन्दर बेवा शंकरलाल चमार सभी निवासीयान जावदा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।

अपीलांट्गण

विरूद्ध

1.रामचन्द्र पिता वजेराम चमार ।

2.मु.प्रेमदेवी पत्नी पृथ्वीराज मेघवाल दोनो निवासी-जावदा ।

3.राज्य जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा ।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 148/2008
निर्णय दिनांक 27.7.2011

-0-

निर्णय

दिनांक 1.11.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-88-188-209 के अन्तर्गत मौजा जावदा की आराजी नम्बर 361 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा ,आराजी नम्बर 364 रकबा 8 विस्वा आराजी नम्बर 810 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा आराजी नम्बर 811 रकबा 4 बीघा 166 विस्वा आ0न0 812 से सिंचित आराजी नम्बर 826 रकबा 4 विस्वा कुल किता-5 रकबा 10 बीघा 11 विश्वा के सबंध में पेश किया गया जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र दिनांक 27.7.2011 को रेस ज्युडीकेटा (पूर्वन्याय) सिद्वांत के आधार पर खारिज कर दिया गया

जिससे विरूद्ध अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है जो दर्ज रजिस्टर की गयी एवं रेस्पोडेन्ट को नोटीस जारी किये गये एवं उनकी ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये ।

इस न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी जिसके लिये अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून मियाद का पेश किया गया जो न्यायाहित में स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को कन्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस के दौरान निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजियात वादीगण की पुश्तैनी होकर वजेराम के समय की है वजेराम के दो पुत्र 'शंकर एवं रामचन्द्र हुये जिसमे से वादीगण अपीलांट के पिता 'शंकर का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस अपीलांटगण है एवं उक्त आराजियात में अपीलांथ्गण के पिता 'शंकर का 1/2 व रेस्पोडेन्ट 01 का 1/2 हक व हिस्सा होकर उसी अनुसार आपसी बंटवाडा कर अलग अलग काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है बंटवाडे के तौर पर आराजी नम्बर 364 रकबा 8 विश्वा एवं आराजी नम्बर 810 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा अपीलांट के हक व हिस्से में रखा गया जिसमे से 18 विस्वा भूमि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रेमदेवी को विक्रय कर दी । उसी अनुसार रेस्पोडेन्ट 02 काबीज हाकर उपयोग उपभोग करती चली आ री है । विद्वान विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निरस्त करने में कानूनी भूल की है । अंत में उन्होने अपील में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 27.7.2011 निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश विधि सम्मत होने से अपीलांट की अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

मैने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया कि विवादग्रस्त आराजियात के सबंध में पक्षकारान द्वारा पूर्व में वाद संख्या 164/99 निर्णय दिनांक 7.12.2004 को विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है इस आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.7.2011 को जो पूर्व न्याय सिद्वान्त (रेसज्यूडिकेटा)के आधार पर अपीलांट/वादीगण का वाद निरस्त किया गया जो विधि सम्मत है एवं इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है इस कारण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है ओर विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा का प्रकरण संख्या 148/2008 रेवेन्यु वाद निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.7.2011 यथावत रखा जाता है । डिक्री पर्चा जारी किया जावें ।

निर्णय आज दिनांक 1.11.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ मु0उदयपुर

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : प्रदीपसिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

अपील सं. 139/2012/**डिक्री**

(1) श्री रतनलाल पिता शंकरलाल चमार (2) कैलाश पिता शंकरलाल चमार। (3) गणपत पिता शंकरलाल चमार। (4) मु. सुन्दर बेवा शंकरलाल चमार। सभी निवासीयान जावदा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।	बनाम	(i) श्री रामचन्द्र पिता वजेराम चमार। (2) मु. प्रेमदेवी पत्नि पृथ्वीराज मेघवाल दोनो निवासी जावदा। (3) राज्य जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।
-अपीलान्ट		-रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा दि. 27-7-2011 प्रकरण सं. 148/2008 अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 01-11-2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हेंगालाल जाट रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री हेंगालाल डाड रेस्पोन्डेन्ट-2 एवं GA-3 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि :-

अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा का प्रकरण संख्या 148/2008 रेवेन्यु वाद निर्णय एवं आदेश दिनांक 27-7-2011 यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ....-.... रुपये हैं, ...-.... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ....-.... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 01-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(हस्ताक्षर)

प्रदीपसिंह सांगावत (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 01-11-2023 अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	